

आवेदन का प्रारूप

गुपर एपेशिलिटी अरपताल में प्राध्यापक/राह प्राध्यापक/राहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु
आवेदन-पत्र (अंतिग तिथि 16/04/2021)

नोट: राशी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

आवेदन शुल्क रूपये अनारक्षित-2000/- आरक्षित श्रेणी हेतु 1500/-का आनलाईन (NEFT/UPI , etc.)
रेटेट बैंक आफ इण्डिया एग.वाय.एच.बी.एस.रा, इन्डौर के (Account No. 53003590071)
(IFSC :- SBIN0030359) (M.G.M.Medical College, (Autonomous Society) Indore
के नाम से जगा कर रशीद संलग्न यरे। (डिग्री ड्राफ्ट रीकार नहीं होगी।)

आवेदित पद का नाम -(आवेदक द्वारा स्पष्ट भरा जावे)

स्वप्नमाणित
फोटो

1. आवेदक का नाम
2. पुरुष/महिला
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....

शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....इमेलआईडी.....
5. स्थाई पता.....

शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....
6. आधार कार्ड नम्बर
7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें) 01.04.2021 को आयु.....वर्ष....माह.....दिवस
8. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग / EWS
..... (आरक्षित श्रेणी हेतु सकाम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
9. शैक्षणिक योग्यताएँ:- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के पद के अनुसार योग्यता अंकित करें

क्र	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	MBBS First Prof.						
2	MBBS Second Prof.						
3	MBBS Final Part I						
4	MBBS Final Part II						
5	MD/MS						
6	DM/Mch/DNB as per T.E.Q.						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

10. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक

- 1 MBBS-----
- 2 MS/MD-----
- 3 Mch/DM/DNB. -----

11. राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, कान्फेस अटेन्ड/आयोजित करना
कान्फेस में साइटिफिक सेशन चेयर करना/पेपर प्रस्तुत करना/नेशनल एकेडमिक अवार्ड्स इत्यादि।

नोट: प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रगाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

12. शैक्षणिक अनुभव :-T.E.Q. के अनुसार

क्रमांक	पदनाम	पद पर कार्यभार ग्रहण का दिनांक	कुल शैक्षणिक अनुभव
1	प्राध्यापक		
2	सह प्राध्यापक		
3	सहायक प्राध्यापक		

13. रिसर्च पब्लिकेशन :-“संलग्न प्रारूप एवं T.E.Q. के अनुसार

क्रमांक	पदनाम	रिसर्च पब्लिकेशन की संख्या एमरीआई नाम्स अनुसार
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	

14. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्वप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करे)।
- 1 जन्मतिथि के लिये कक्षा 10 वीं की अंकसूची
 - 2 एमबीबीएस फर्स्ट प्रोफ अंकसूची
 - 3 एमबीबीएस सेकण्ड प्रोफ अंकसूची
 - 4 एमबीबीएस थर्ड प्रोफ अंकसूची पार्ट-1
 - 5 एमबीबीएस फाईनल प्रोफ अंकसूची पार्ट-2
 - 7 एम.बी.बी.एस. डिग्री
 - 8 एम.बी.बी.एस. प्रयास प्रमाण पत्र
 - 9 एमएस डिग्री
 - 10 एम.डी./एम.एस. प्रयास प्रमाण पत्र
 - 11 एमसीएच/डीएम/डीएनवी
 - 12 मेडिकल काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र (एम.बी.बी.एस.)
 - 13 मेडिकल काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र (एम.डी./एम.एस./डी.एम./एम.सी.एच./डी.एन.वी.)
 - 14 रिसर्च प्रदिक्षण
 - 15 जाति प्रमाण पत्र (केवल आरक्षित श्रेणी के लिये है)
 - 16 स्थानीय निवास प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)
 - 17 आधार कार्ड
 - 18 प्रशिक्षण/कांफ्रेस पुरस्कार प्रमाणपत्र
 - 19 आवेदन शुल्क रूपये अनारक्षित-2000/- आरक्षित श्रेणी हेतु 1500/-की रसीद।
 20. अहंता टीईक्यू अनुसार रहेगी।
- नोट:- पदों की आवश्यक शैक्षणिक व वॉचनीय अहंताये संस्था की वेबसाइट (www.mgmmcindore.in) पर उपलब्ध रहेगी। संबंधित पद की अहंताये आवेदक द्वारा सुनिश्चित कर आवेदन पत्र की पूर्ति करे।

स्थान.....
दिनांक.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सके।
2. मेरे विरुद्ध पुलिस प्रकरण में एफ.आई.आर.दर्ज नहीं है, और मेरे विरुद्ध कोई जॉच प्रचलन में नहीं है।
3. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।
4. म.प्र. शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्धारित नियम मुझ पर पूर्णरूपेण बंधनकारी होंगे।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

आर्हता:-

सं. क्र.	अनुसूची 1 का सं.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शोधारेका अड्डार		अन्य अर्हताएँ
				1	2	
1	1	प्राध्यापक	35 वर्ष	1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिकमण में शासी योर्ड द्वारा चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता चिनियागामली टी.ई.यु. (T.E.Q) के अनुसार संविधित चिन्ह में अति प्रिशेषज्ञताएँ (Super speciality) ऐतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अध्यापन एवं अनुसंधान अनुग्राम के अनुसार।	6	स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अर्हताएँ।
2	2	सह प्राध्यापक	30 वर्ष	1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिकमण में शासी योर्ड द्वारा चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता चिनियागामली टी.ई.यु. (T.E.Q) के अनुसार संविधित चिन्ह में अति प्रिशेषज्ञताएँ (Super speciality) ऐतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अध्यापन एवं अनुसंधान अनुग्राम के अनुसार।	6	स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अर्हताएँ।
3	3	सहायक प्राध्यापक	25 वर्ष	1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के गांधीकमण में शासी योर्ड द्वारा चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता चिनियागामली टी.ई.यु. (T.E.Q) के अनुसार संविधित चिन्ह में अति प्रिशेषज्ञताएँ (Super speciality) ऐतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अध्यापन एवं अनुसंधान अनुग्राम के अनुसार।	6	स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अर्हताएँ।

टीप : -

1. अनुसूची के कॉलम 05 में उल्लेखित अर्हताओं में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा परिवर्तन चिन्हे द्याने पर राज्यनुसार परिवर्तित अर्हताएं स्थायी ही लागू होगी।
2. साधिकार शामिल सामय-रामय पर रांकल्प पारित कर पद प्रिशेष के लिये अनिवार्य अथवा अन्य दोनों अर्हताएं निर्धारित कर सकेगी।




(डॉ. संजय दीक्षित)
अधिष्ठाता
ग.गा.रसृति चिकित्सा महाविद्यालय,
इन्दौर(म.प्र.)

नोट:-

- पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।
- भर्ती की प्रक्रिया एवं रोका शर्त की विरहुत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप विकित्ता महाविद्यालय की वेबसाईट पर (www.mgmmcindore.in) पर उपलब्ध है।
- विज्ञापित पदों के आरक्षण एवं नियुक्ति संबंधी राजीनिवास ग्रामों एवं भविष्य में नियुक्तियों के संबंध में अन्यथा लिये गए शारकीय निर्णय के अधीन नियुक्ति/पदोन्नतिया रोकी, एवं अभग्नी नियुक्ति विरहुत होने की दशा में नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में गांग नहीं कर सकते।
- आयु की गणना दिनांक 01 अप्रैल 2021 को आधार गानकर गणना में ली जावेगी।
- पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा रामय-रामय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
- आरक्षण का लाभ राक्षग प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्ररहुत करने पर ही दिया जावेगा।
- चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- आवेदन शुल्क आवेदन के प्रारूप पर उल्लेख अनुसार अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदन पत्र 'मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिकारी गगा. रमृति विकित्ता महाविद्यालय इन्हौर (एवीरोड) के कार्यालय में दिनांक 16.04.2021 को शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर पद का नाम आवश्यक रूप से अंकित करे। देरी से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। राश ई जमा किया गया शुल्क लौटाया नहीं जावेगा।


(डॉ. रांजेत दीक्षित)
अधिकारी
म.गा.रमृति विकित्ता महाविद्यालय,
इन्हौर(ग.प्र.)

निरहताः-


- विकृत चित्त बाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण ल्यक्षित अपने जर्तल्य बोध एवं याचित्य को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने ऐसे किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जाएगा।
- विवाह संबंधी जिस उम्मीदवार से न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ष के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ष के लिए 18 वर्ष) से पूर्ण विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर उचित अद्योग्य माना जाएगा। कोई भी ऐसी महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर उचित अद्योग्य माना जाएगा। कोई भी ऐसी महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी विवाह कर लिया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसी महिला/पुरुष नियुक्ति के लिए अपार्न ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो।
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं घरन के स्तर पर जानकारी छिपाए जाने/अभिलेख फेरबदल पर प्रस्तुत करने पर।
- कदाचरण संबंधी - किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जायेगा यदि उसके शासन या स्थानीय प्राचिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदस्थुत पर विद्या गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध उहराया गया हो।
- ऐसे उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद शिविल सर्जन से फर्ज न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वास्थ्य पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

सेवा शर्तेः-

- 1 चिकित्सा शिक्षक के लिये निजी व्यवसाय (पायवेट प्रैविटस) पूर्णतः निषेध होगा।
- 2 वार्षिक वेतन वृद्धि 3 प्रतिशत नियमानुसार प्रतिवर्ष देय होगी।
- 3 निशुल्क आजास सुविधा प्रदाय की जाएगी। गृहगाला भत्ता देय नहीं होगा।
- 4 एक मुश्त वेतन के अतिरिक्त वार्ष आधारित निम्न परिक्षणिक दिशा जाएगा।
- (अ) चिकित्सा शिक्षक द्वारा की गई शल्य चिकित्सा तथा इन्टरवीन्शन उपचार/अनुसंधान से प्राप्त राजस्य का 20 प्रतिशत।
- (ब) चिकित्सा शिक्षक द्वारा Paid OPD में रखे गये मरीज से प्राप्त राजस्य का 50 प्रतिशत।
- 5 चिकित्सा शिक्षक को 5 वर्ष तक सेवा देने के लिये बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा। 5 वर्ष के पूर्व सेवा छोड़ने की दशा में उसे एक वर्ष का धेतन जमा करना होगा।
- 6 साधिकार समिति चिकित्सा शिक्षक को नियमानुसार धेतन राशि देकर दिया किसी कारण बताए सेवाए समाप्त कर सकेगी।
- 7 शैक्षणिक संवर्ग के लिये अवकाश आचरण एवं अधिकारिकी आयु के संबंध में भव्यप्रदेश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम 2018 लागू होगे। जिनका अगलोकन संचालनालय चिकित्सा शिक्षा ग.प्र. की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in पर विद्या जा सकता है।

महत्वपूर्ण टीप-

यह सुनिश्चित करने वी जिम्मेदारी रखने आवेदक की होगी की वे आवेदित पद के लिये निर्धारित रामस्त अर्हताये और शर्तों को पूर्ण करते हैं। आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच रखने कर ले और अर्हता की रामस्त शर्त पूर्ण करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। चरण के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह एवं अनुपयुक्त पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक को विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो। इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है।


 (छो. संजय चिकित्सा)
 अधिकारी
 महास्थानी चिकित्सा महाविद्यालय,
 इन्दौर(म.प्र.)